न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0—14/2014—15

गुलाम पासवान **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
5.4.18	**आदेश** प्रस्तुत वाद गुलाम पासवान, पिता स्व0 छोटु पासवान, ग्राम—लक्ष्मणपुर, थाना—बख्तियारपुर, पटना पंचायत करनौत, ग्राम—रानीसराय के जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता अनुज्ञप्ति (रद्द) सं0 298/07 ने अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के आदेश ज्ञापांक 151(आ0) दिनांक 25.03.2014 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011 की कंडिका—28 के अंतर्गत दिनांक 15.04.2014 को अपील आवेदन दाखिल किया है। दिनांक 20.06.2014 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, वाद प्रतिग्रहित किया जाय। निम्न न्यायालय से अभिलेख मांगते हुए, विपक्षी पर नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 01.03.2018 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में अंकित किया है कि वे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान की सामग्री चिन्हित स्थान से हट कर, दूसरे के मकान में रखे थे। मकान मालिक के भाईयों में आपस में विवाद के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के आदेश ज्ञापांक 81 दिनांक 20.02.2013 से व्यापार स्थल परिवर्तन करने का आदेश प्राप्त है। अपीलार्थी अपनी दुकान के स्थल परिवर्तन के उपरान्त सुचारू रूप से चला रहे थे। वर्तमान मकान मालिक का नाम सुरेन्द्र यादव है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बख्तियारपुर द्वारा पूर्व मकान मालिक श्रीकान्त पासवान के मकान पर जांच करने चले गये एवं प्रतिकूल प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में उनसे ज्ञाप सं0 61 दिनांक 19.02.2014 के द्वारा कारण—पृच्छा की गयी, जिसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी का कहना है कि वे लाभुकों को नियमित रूप से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण करते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने उनके स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना उनकी अनुज्ञप्ति सं0 298/07 को रद्द कर दिया गया। उनका कथन है कि कुछ लोग नाजायज ढंग से खाद्यान्न एवं किरासन तेल की मांग करते है, जिनके द्वारा शिकायत पत्र दायर किया गया है। अंत अपीलार्थी का कहना है कि अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए, अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के अनुज्ञप्ति रद्द आदेश ज्ञापांक 151(आ0) दिनांक 25.03.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक 19.12.2013 को पूर्वाह्न	

11.00 बजे प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बख्तियारपुर के द्वारा गुलाम पासवान, ज0वि0प्र0 के विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 298/07 पंचायत–करनौतरी, प्रखण्ड–बख्तियारपुर, जिला–पटना का निरीक्षण किया गया। जिसमें निम्नांकित अनियमितताये प्रतिवेदित की गयी :–

(1) सूचना पट्ट, भण्डार–पंजी एवं प्रदर्शन पट्ट अपने निर्धारित स्थल पर संधारित नहीं था।

(2) भण्डार पंजी एवं बिक्री पंजी जांच हेतु उपस्थापित नहीं किया गया। जिसके कारण भण्डार का सत्यापन नहीं हो सका।

(3) लाभुकों के ब्यान से स्पष्ट है कि बिक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता है।

(4) दो माह का कूपन फाड़कर मात्र एक माह की सम्मग्री की आपूर्ति की जाती है।

(5) अनुज्ञा–पत्र में विनिर्दिष्ट स्थल से अलग स्थान पर दुकान का संचालन किया जाता है।

उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपीलार्थी से साक्ष्य सहित कारण–पृच्छा की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा समीक्षा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा की गयी। उनके द्वारा पाया गया कि बिक्रेता द्वारा व्यापार स्थल परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। साथ हीं दो माह का कूपन लेकर एक माह के खाद्यान्न की आपूर्ति की बात भी प्रमाणित पायी गयी। अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश में यह भी वर्णित है कि पूर्व में भी विक्रेता द्वारा दुकान के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके लिए उन्हें चेतावनी दी गयी थी। विक्रेता के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए, पुनः कहा गया कि जांच पदाधिकारी द्वारा उनके पूर्व व्यापार स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है एवं उसी के आधार पर गलत ढंग से उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के विरूद्ध गठित आरोप गम्भीर प्रकृति के है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011 एवं सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लघंन है। अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी के अपील आवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट है कि बिक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति में अंकित व्यापार स्थल से

हट कर, दूसरे जगह खाद्यान्नों एवं किरासन तेल का भण्डारण किया गया था, जिसकी सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। यह प्रदर्शित करता है कि यह कार्य कालाबाजारी करने के उद्देश्य से किया गया था। उपभोक्ताओं द्वारा जाँच पदाधिकारी के समक्ष दिए गए ब्यान के अनुसार लाभुकों से दो माह का कूपन लेकर एक माह का खाद्यान्न/किरासन तेल की आपूर्ति करना भी गंभीर आरोप है। जिसे अनुज्ञापन पदाधिकारी ने अपने विवेचना में प्रमाणित पाया है। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में वर्णित है कि विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में खाद्यान्न/किरासन तेल के वितरण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। उनके द्वारा जांच पदाधिकारी को भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी भी नहीं दिखाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि विक्रेता द्वारा दुकान के संचालन के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011 एवं सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है।

इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के आदेश ज्ञापांक 151(आ0) दिनांक 25.03.2014 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/-

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ह0/-

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।